प्रकरण संख्या 17/2017 अदेंग व अन्य बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात मौजा भचडिया में स्थित है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। इस भूमि में प्रतिवादीगण के किसी प्रकार के हित अधिकार निहित नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण मत्स्य विभाग के फिश फार्म हेतु जबरन सड़क निर्माण हेतु आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनके कर्मचारी, ठेकेदार, मजूदर एवं अन्य सहयोगी विवादित आराजियात में प्रवेश नहीं करें तथा निर्माण कार्य नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 4 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 05.12.2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री सी. पी. गांधी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि तनकी नंबर 1 के संबंध में अपीलान्टगण की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 अदेंग तथा पी.डब्ल्यू. 2 जीवतराम के बयान करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 10 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलान्टगण विवादित आराजियात के खातेदार हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 राधामोहन श्रीवास्तव प्रभारी मत्स्य विकास अधिकार के बयान करवाये गये, जो सहायक निदेशक मत्स्य विभाग उद... स्थापित हैं और सन् 2015 में डूंगर... व्यक्तिगत रूप से किसी ... भी अधिनस्थ न्यायालय ने ... करते हुए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्ध अधिकारी
पूर्ण पीठ राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। विवादित आराजियात अपीलान्टगण के खातेदारी की होकर राज्य सरकार द्वारा कभी भी अवाप्त नहीं की गयी, फिर भी प्रत्यर्थीगण बिना किसी अधिकार के अधिकमण करने पर आमादा हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह अंकित किया है "प्रतिवादीगण द्वारा उनकी आवंटित एवं कब्जे शुदा भूमि पर वर्ष 2006 में अतिवृष्टि से हुए निर्माण को राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्माण कर रहे हैं। वादीगण की ओर से निर्माण बाबत् कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी है एवं कब्जे को हटाने का वाद पेश नहीं किया गया है।" अपीलान्ट का यह कथन कि प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 राधामोहन श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से किसी भी तथ्य की जानकारी नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसके बयानों पर विश्वास करते हुए निर्णय पारित किया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 34/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat (प्रदीप सिंह सांगावत)
Date: 2024.10.30 10:17:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....

व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

अदेंग पिता देवेंग पटेल, नि0 भचडिया, तह0 सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य — बनाम — राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....17 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....

.....सागवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....05.....माह.....12.....2017.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28.....माह.....12.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान

व हाजरी.....श्री डी. सी. चौबीसा.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... श्री सी. पी. गांधी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....12.....2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner